International Journal of Research in Special Education

E-ISSN: 2710-3870
P-ISSN: 2710-3862
Impact Factor (RJIF): 6.69
IJRSE 2025; 5(2): 75-78
© 2025 IJRSE
Journal's Website
Received: 06-07-2025
Accepted: 08-08-2025

राजन पटेल
शोधार्थी, शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

डॉ. राजेश्वरी गर्ग
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

Corresponding Author:
राजन पटेल
शोधार्थी, शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष शिक्षा विद्यालयों के स्थिति से सम्बंधित नीतियाँ एवं योजनाओं का अध्ययन

राजन पटेल और डॉ. राजेश्वरी गर्ग

DOI: https://www.doi.org/10.22271/27103862.2025.v5.i2b.136

सारांश
छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को सुलभ और समावेशी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियाँ और योजनाएँ लागू की हैं। इन पहलों का केंद्र बिंदु समावेशी शिक्षा है, जिसके तहत दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसके लिए, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, दिव्यांग-अनुकूल पाठ्यक्रम का विकास, और तकनीकी सहायक उपकरणों का मुफ्त वितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, छात्रों को छात्रवृत्तियाँ, परिवहन सुविधाएँ, और चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जाती है ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। सरकार का उद्देश्य केवल शैक्षणिक ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। ये सभी प्रयास दिव्यांग बच्चों के सशक्तिकरण और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

मुख्य शब्द: विशेष शिक्षा विद्यालय, समावेशी शिक्षा, नीतियाँ एवं योजनायें

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास का मूल आधार है, और इसमें सभी नागरिकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना, विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की, एक महत्वपूर्ण सामाजिक और नैतिक दायित्व है। भारत सरकार ने "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" के तहत, प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार दिया है। यह अधिकार दिव्यांग बच्चों पर भी लागू होता है, जिनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता होती है (RTE Act, 2009)।

छत्तीसगढ़, एक नवगठित राज्य होने के बावजूद, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील दृष्टिकोण अपना रहा है। राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को सुलभ और समावेशी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियाँ और योजनाएँ लागू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य न केवल उन्हें शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल कर एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तैयार करना भी है। यह शोध आलेख छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई रणनीतियों, कार्यान्वित कार्यक्रमों और उनकी प्रभावशीलता का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है।

पारंपरिक रूप से, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से अलग माना जाता था। उन्हें अक्सर विशेष संस्थानों तक सीमित रखा जाता था, जिससे उनके सामाजिक और व्यक्तिगत विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। हालांकि, आधुनिक दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है, जहाँ दिव्यांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दृष्टिकोण को अपनाया है, लेकिन नीतियों के सफल कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, उपयुक्त भौतिक अवसंरचना का अभाव, और समाज में जागरूकता की कमी। इन चुनौतियों के बावजूद, यह समझना महत्वपूर्ण है कि सरकार की नीतियाँ किस हद तक इन समस्याओं का समाधान कर रही हैं और दिव्यांग बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। यह आलेख इन्हीं चुनौतियों और उनके समाधान के लिए सरकार के प्रयासों का मूल्यांकन करता है (कौर एंड सालियन 2023)।

विशेष शिक्षा विद्यालय

विशेष शिक्षा विद्यालय ऐसी संस्थाएँ हैं जो दिव्यांग बच्चों, जैसे कि दृष्टिहीन, श्रवण बाधित, मानसिक मंदता, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) और अन्य अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाई गई हैं। इन विद्यालयों का

मुख्य उद्देश्य इन बच्चों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करना है । (Government of India, Ministry of Education, 2020) इसके अतिरिक्त, ये स्कूल बच्चों को इस तरह से तैयार करते हैं कि वे समाज की मुख्यधारा में सफलतापूर्वक शामिल हो सकें और एक आत्मनिर्भर जीवन जी सकें । (National Centre for Inclusive Education, 2019) इन संस्थाओं में विशेष पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित शिक्षक और सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, जो दिव्यांग बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाते हैं (यूनेस्को, 2017)

समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा वह शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसमें सभी बच्चों- चाहे वे सामान्य शैक्षणिक क्षमताओं वाले हों या विशेष आवश्यकता वाले (जैसे कि शारीरिक, मानसिक, श्रवण या दृष्टि संबंधी दिव्यांगता वाले) को एक समान और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करना और उन्हें आत्मनिर्भर तथा सम्मानजनक जीवन के लिए तैयार करना है। समावेशी शिक्षा केवल शैक्षणिक दृष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को भी प्रोत्साहित करती है । (Grewal, 2023)

छत्तीसगढ़ में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष स्कूलों और सामान्य स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। राज्य सरकार ने शिक्षक प्रशिक्षण, सहायक उपकरण, रैंप, अनुकूल शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ किया है। इसके अतिरिक्त, अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देकर सामाजिक समावेशन सुनिश्चित किया जाता है।

नीतियाँ एवं योजनायें

1. समग्र शिक्षा अभियान

विशेष शिक्षकों की नियुक्ति:- समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत विशेष शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। उदाहरण स्वरूप, बिलासपुर जिले में विशेष शिक्षक की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। ये शिक्षक सामान्य शिक्षकों से अलग होते हैं क्योंकि उन्हें विशेष शिक्षण पद्धतियों का गहन ज्ञान होता है, जैसे ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा। वे प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत जरूरतों को समझते हैं और उनके लिए एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना (IEP) तैयार करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण प्रक्रिया हर बच्चे के लिए प्रभावी और व्यक्तिगत हो, जिससे उन्हें अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करने का मौका मिले।

सहायक उपकरण का वितरण

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए, सरकार सहायक उपकरणों का मुफ्त वितरण करती है। ये उपकरण उनकी सीखने की प्रक्रिया में आने वाली शारीरिक बाधाओं को दूर करते हैं। उदाहरण के लिए, श्रवण बाधित बच्चों को श्रवण यंत्र, दृष्टिहीन बच्चों को ब्रेल किट और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को व्हीलचेयर प्रदान की जाती हैं। ये उपकरण बच्चों को कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपने साथियों के साथ सहजता से बातचीत करने में मदद करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। (सिंह, 2018)

आर्थिक सहायता

शिक्षा की राह में आर्थिक बाधाओं को कम करने के लिए, सरकार विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें छात्रवृत्तियाँ शामिल हैं, जो बच्चों के परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करती हैं। इसके अतिरिक्त, परिवहन भत्ता दिया जाता है ताकि दिव्यांग बच्चों को स्कूल तक आने-जाने में कोई असुविधा न हो। कुछ मामलों में, उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ये सभी वित्तीय सहायताएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि बच्चा अपनी शिक्षा को बिना किसी आर्थिक दबाव के जारी रख सके और स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर न हो।

2. दिव्यांग-अनुकूल पाठ्यक्रम और मूल्यांकन

छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष शिक्षा को समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। पाठ्यक्रम को दिव्यांग बच्चों की सीखने की क्षमताओं के अनुसार लचीला बनाया गया है। इसके लिए, प्रत्येक बच्चे की जरूरतों के आधार पर व्यक्तिगत शिक्षा योजना (IEP) तैयार की जाती है, और शैक्षणिक गतिविधियों में गतिविधि-आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ब्रेल लिपि, बड़ी-प्रिंट की किताबें और ऑडियो-विजुअल सामग्री जैसी पूरक सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि सीखने की प्रक्रिया हर बच्चे के लिए सुलभ और आकर्षक बन सके (छत्तीसगढ़ सरकार, 2010)।

मूल्यांकन प्रणाली को भी दिव्यांग छात्रों के लिए अनुकूल बनाया गया है ताकि वे अपनी क्षमताओं को सही तरीके से प्रदर्शित कर सकें। परीक्षा में उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाता है, और जो छात्र लिखने में असमर्थ हैं, उनके लिए लेखक (स्क्राइब) की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। परीक्षा का प्रारूप भी बहुविकल्पीय प्रश्नों या मौखिक परीक्षा के माध्यम से अनुकूलित किया जाता है। ये सभी प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया निष्पक्ष हो और किसी भी छात्र का ज्ञान उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण बाधित न हो (देवी, 2016)।

3. व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास

शिक्षा के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष शिक्षा को सिर्फ़ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। इसके तहत, विशेष विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कौशल-आधारित कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे सिलाई, बुनाई, हस्तशिल्प, कंप्यूटर संचालन और घरेलू सामान बनाने का प्रशिक्षण। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को ऐसे व्यावहारिक कौशल सिखाना है जिनकी बाज़ार में माँग है। इससे वे भविष्य में अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या रोजगार पाकर सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। इस पहल के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि दिव्यांग बच्चे न केवल शिक्षित हों, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त बनें और समाज के उत्पादक सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाएँ।

अध्ययन का महत्व

यह अध्ययन छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष शिक्षा से संबंधित नीतियों और योजनाओं का गहन नीति विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिससे उनकी सफलता और कमियों का समग्र मूल्यांकन किया जा सके। इसके माध्यम से उन सफलताओं और चुनौतियों को उजागर किया गया है, जो इन नीतियों के

क्रियान्वयन के दौरान सामने आई हैं, और जिनका समाधान अभी आवश्यक है। साथ ही, यह शोध भविष्य की दिशा निर्धारित करने में सहायक है, क्योंकि यह विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों और नवाचारों के लिए नीति निर्माताओं के लिए व्यावहारिक सुझाव और सिफारिशें प्रदान करता है। अंततः, यह अध्ययन ज्ञान में योगदान भी करता है, क्योंकि यह विशेष शिक्षा और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में मौजूदा शोध साहित्य को समृद्ध करता है और अन्य राज्यों के लिए एक प्रभावशाली मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है (सिंह, 2023)।

उद्देश्य

1. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीतियों और योजनाओं का अध्ययन करना ।
2. नीतियों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना और उनके समाधान के लिए संभावित सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति: सरकारी रिपोर्टें, योजना दस्तावेज, वार्षिक रिपोर्टें (जैसे समग्र शिक्षा अभियान की रिपोर्ट), शैक्षणिक लेख, और समाचार पत्रों का उपयोग करके, यह शोध आलेख छत्तीसगढ़ में विशेष शिक्षा की वर्तमान स्थिति का एक समग्र और गहन विश्लेषण प्रस्तुत करेगा, जिससे नीतियों के कार्यान्वयन की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी।

नीतियाँ एवं योजनाओं में आने वाली चुनौतियाँ एवं समाधान
चुनौतियाँ

1. **प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की कमी:** राज्य में, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की कमी एक बड़ी चुनौती है। इससे दिव्यांग बच्चों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती।
2. **जागरूकता का अभाव:** समाज में अभी भी दिव्यांगता और समावेशी शिक्षा के प्रति पूर्ण जागरूकता नहीं है। माता-पिता अक्सर अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने से हिचकिचाते हैं या उनकी क्षमताओं को कम आंकते हैं।
3. **भौतिक अवसंरचना का अभाव:** कई सरकारी स्कूल अभी भी दिव्यांग-अनुकूल नहीं हैं। उनमें रैंप, सुलभ शौचालय और लिफ्ट जैसी सुविधाओं की कमी है, जिससे दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल तक पहुँचना और वहाँ घूमना-फिरना मुश्किल होता है (सिंह, 2018)।
4. **वित्तीय संसाधनों की सीमा:** विशेष शिक्षा के लिए आवश्यक सहायक उपकरण, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक निरंतर चुनौती है।

समाधान

1. **शिक्षकों का प्रशिक्षण और भर्ती:** सरकार को विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करना चाहिए और उन्हें आधुनिक शिक्षण तकनीकों पर नियमित प्रशिक्षण देना चाहिए। इसके अलावा, सामान्य शिक्षकों को भी समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे दिव्यांग बच्चों को अपनी कक्षाओं में बेहतर ढंग से समायोजित कर सकें।
2. **जागरूकता अभियान:** मास मीडिया (रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया) और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इन अभियानों का उद्देश्य दिव्यांगता से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और समावेशी शिक्षा के लाभों को उजागर करना होना चाहिए।
3. **बुनियादी ढाँचे का विकास:** स्कूलों में दिव्यांग-अनुकूल बुनियादी ढाँचा विकसित करने के लिए विशेष बजट आवंटित किया जाना चाहिए। नए स्कूलों के निर्माण में इन मानकों का पालन अनिवार्य किया जाना चाहिए और पुराने स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से अपडेट किया जाना चाहिए।
4. **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** सरकार को विशेष शिक्षा में वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और निजी कंपनियों के साथ सहयोग करना चाहिए। यह सहायक उपकरणों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को सुलभ और समावेशी बनाने के लिए उठाए गए कदम सकारात्मक और दूरदर्शी हैं। विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में लागू नीतियाँ जैसे- समग्र शिक्षा अभियान, विशेष शिक्षक भर्ती, सहायक उपकरण वितरण, दिव्यांग-अनुकूल पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली सुधार और व्यावसायिक प्रशिक्षण ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, इन पहलों के सफल कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की कमी, समाज में जागरूकता का अभाव, भौतिक अवसंरचना की सीमाएँ और वित्तीय संसाधनों की कमी जैसी समस्याएँ अभी भी दीर्घकालीन समाधान की मांग करती हैं। इन चुनौतियों का प्रभाव सीधे दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता और उनके सामाजिक समावेशन पर पड़ता है।

सरकार द्वारा सुझाए गए समाधान विशेष शिक्षक प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, बुनियादी ढाँचे का विकास और सार्वजनिक-निजी भागीदारी यदि प्रभावी ढंग से लागू किए जाएँ, तो ये नीतियाँ दिव्यांग बच्चों को केवल शैक्षणिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाने में सक्षम होंगी।

अंततः, यह अध्ययन दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष शिक्षा नीतियाँ एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभर सकती हैं, जो न केवल राज्य के लिए, बल्कि अन्य राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यदि वर्तमान चुनौतियों का निरंतर और व्यवस्थित समाधान किया जाए, तो दिव्यांग बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में पूरी तरह से शामिल करने की दिशा में ठोस प्रगति संभव है।

References

1. Government of India. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. Ministry of Law and Justice, India. 2009. Retrieved from https://legislative.gov.in/actsofparliamentfromtheyear/right-children-free-and-compulsory-education-act-2009
2. देवी, जे. फंक्शनिंग ऑफ़ स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रेन विथ विज़ुअल इम्पेयरमेंट इन हिमाचल प्रदेश: एन इवैल्यूएशन स्टडी, (पीएच.डी. डिसर्टेशन, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन). 2016. http://hdl.handle.net/10603/203876
3. सिंह, एस. डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स एंड कल्लेगेस. इन प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो [प्रेस रिलीज़]. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया. 2018. https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=175311
4. Government of India, Ministry of Education. National education policy 2020. Government of India. 2020.
5. Bastar District Administration. (2023). For recruitment

under inclusive education scheme operated by District Project Office, Rajiv Gandhi Education Mission, District Bastar, Jagdalpur, Chhattisgarh under the Samagra Shiksha Abhiyan (RGSM). Government of Chhattisgarh. Retrieved from https://bastar.gov.in/en/notice/for-recruitment-under-inclusive-education-scheme-operated-by-district-project-office-rajiv-gandhi-education-mission-district-bastar-jagdalpur-chhattisgarh-under-the-samagra-shiksha-abhiyan-rgsm/

6. E-Govt Schemes. Divyangjan scholarship scheme in Chhattisgarh. 2022. Retrieved from https://www.egovtschemes.com/divyangjan-scholarship-scheme/
7. Government of Chhattisgarh. The Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010 (Chhattisgarh rules). 2010. Retrieved from https://indiankanoon.org/doc/32657491/
8. National Centre for Inclusive Education. Inclusive education for children with disabilities in India. New Delhi. 2019.
9. UNESCO. A guide for ensuring inclusion and equity in education. UNESCO. 2017.
10. Grewal S. Inclusive education in India: Challenges and strategies for supporting students with disabilities. Universal Research Reports. 2023. Retrieved from https://urr.shodhsagar.com/index.php/j/article/view/1439
11. Kaur, R., & Salian, R. H. (2023). Teacher perspectives and barriers in implementing inclusive education for Indian children with special needs: A pilot study. British Journal of Special Education. Retrieved from https://nasenjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-8578.12558
12. Kumari M, Bika SL, Bhesera H. A systematic review on inclusive education research: Identifying concerns over children with disabilities. Asian Journal of Education and Social Studies, 2023;50(1), 1–10. Retrieved from https://journalajess.com/index.php/AJESS/article/view/1458
13. Singh A. Examining the landscape of inclusive education in India. Innovative Research Thoughts. 2023. Retrieved from https://irt.shodhsagar.com/index.php/j/article/view/1090
14. UNESCO. (2017). Disability inclusive education and learning. IIEP-UNESCO Learning Portal. Retrieved from https://learningportal.iiep.unesco.org/en/issue-briefs/improve-learning/disability-inclusive-education-and-learning
15. Special and inclusive education in India: An interpretation and implementation: Examining policies and challenges in educating children with disabilities in India. Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education (JASRAE), 2021;18(4), 5401. Retrieved from https://ignited.in/index.php/jasrae/article/view/5401